implementing agencies i.e. State Government have to first incur expenditure from their own resources and then claim reimbursement from the OECF. Rs. 18.90 crores have been reimbursed by OECF till March 1996.

Incentive/Concessions in Excise Duty on Excess Production

*231. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce incentive/concessions in excise duty on excess peoduction to enable goods at cheaper rates for export without losing out on revenue; and

(b) if so, the measures likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir. Under the Excise and Customs Laws, export goods or the materials used in the manufacture of export goods do not bear the incidence of excise or customs duties.

Operation of S.S.R Radars

*232. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as and when the S.S.R. Radars are operational, they will not be able to perform their full functions unless the corresponding equipment is installed on all aircraft operating within or airspace; and

(b) if so, what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) All aircraft with Air India and most of the aircraft with Indian Airlines are already equipped with S-mode transponders. The remaining aircraft of Indian Airlines will be equipped by 30.6.1997. Two private airlines, namely Jet Airways and Modiluft have all their aircraft equipped with S-mode transponders and others have been directed by the Director general of Civil Aviation to complete the installation of this equipment by 31-3-1997.

उत्तर प्रदेश में गढ़वाल / कुमायुं संभागों में राष्ट्रीयकृत / निजी बैंकों की शाखाएं

*233. **श्री मनोहर कांत ध्यानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायुं संभागों के पर्यवतीय क्षेत्रों में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से 25 गांवों के लिए बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शाखाओं में ऋण-जमा अनुपात क्या है;

(ग) इन दो संभागों में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसी विषम भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 1994-95 की योजना अवधि के लिए प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कवरेज जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि विगत में देश के शाखा नेटवर्क के विकास को दृष्टिगत करते हुए किया जाता था और शाखा विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 1985-90 की अवधि के अन्त तक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति-बैंक कार्यालय (एपीपीबीओ) औसत जनसंख्या में कमी आई है और यह 13000 हो गया है। तथापि, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी भी अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता है और / या कुछ विद्यमान ग्रामीण शाखाओं के कारोबार में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह भी महसूस किया गया था कि पर्वतीय / जनजातीय क्षेत्रों और दूर-दराज के कम आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त शाखाएं खोली जानी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों की बैंकिंग आवश्यकताएं

पूरी हो सकें। अतः वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत ग्रामीण शाखाओं के अपने-अपने सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना विभिन्न बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया है।

आरबीआई द्वारा सूचित उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में मार्च, 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या और इन क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात इस प्रकार है:—

जिला	शाखाओं की संख्या	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1. टिहरी गढ़वाल	72	14.1
2. देहरादून	143	17.1
3. नैनीताल	158	44.3
4. उत्तर काशी	26	25.1
5. पौड़ी	101	13.3
6. अल्मोड़ा	98	16.4

आरबीआई ने ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स को उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिला के न्यू टिहरी में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है। आशा है कि एक वर्ष की वैधता-अवधि के भीतर ही बैंक यह शाखा खोल लेगा।

Payment of disturbed area allowance to employees of AIR and Doordarshan

*234. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether his Ministry has collected information regarding the amount of disturbed area allowance paid during each of the last three years to the employees of Doordarshan and All india Rado posted in disturbed areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) The employees of Doordarshan and All India Radio posted in Manipur, Assam, Nagaland and part of Tripura which have been declared as Disturbed Areas under the Armed Forces (Special Powers) act, 1958 have not been paid Disturbed Area Allowance during the last three years. The Disturbed area Allowance is admissible only when Ministry of Finance grants it and that Ministry has not granted this allowance during the last three years.

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास

*235. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार चमोली जिले में जोशीमठ को पर्यटक स्थल घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) से (ङ) जी, हां। पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर पर्यटन का एकीकृत विकास करने के लिए हाल ही में वाराणसी-सारनाथ, गौरखपुर-कुशीनगर, सुनौली-पिपरहवा-सिंकिशा-कौशाम्बी-श्रावस्ती-लखनऊ (बौद्ध परिपथ) की पहचान की है।

गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को 401.65 लाख रुपए की राशि की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 92 में, ऋषिकेश-नरेन्दरनगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ परिपथ को एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।